UPBD010020692026

न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–931/2026

राकेश पुत्र श्री चुन्नू, निवासी–ग्राम अहार, थाना कोतवाली बबेरू, जिला बांदा।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–490/2025
धारा–80(2), 85 बी.एन.एस. व धारा–3/4 डी0पी0 एक्ट
थाना–बबेरू, जिला–बांदा।

दिनांक 03.06.2026

1. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त राकेश की ओर से मु0अ0सं0 490/2025 धारा–80(2), 85 बी.एन.एस. व धारा–3/4 डी0पी0 एक्ट थाना–बबेरू, जिला–बांदा में जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र विकास के शपथपत्र से समर्थित है।

2. अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाना में इस आशय की तहरीर दी गयी है कि, उसने अपनी बहन रन्नो देवी की शादी दिनांक 07.05.2021 को हिन्दू रीति रिवाज से राकेश पुत्र चुन्नू निवासी अहार थाना बबेरू जिला बांदा के साथ की थी। उसने अपनी सामर्थ्य के मुताबिक लगभग 3 लाख रूपये दहेज के रूप में देकर अपनी बहन रन्नो देवी को राकेश के साथ विदा कर दिया था। उसकी बहन जब मायके आती तब बताती थी कि पति राकेश, ससुर चुन्नू व सास राजवन्ती व चचिया ससुर लखना व देवर मुकेश उर्फ बिल्लू सभी लोग उसकी बहन को कम दहेज देने का ताना देते थे तथा प्रताड़ित करते थे तथा उपरोक्त सभी ने उसकी बहन को कहा कि दहेज में अपने भाई से मोटरइसाइकिल (हीरो की) दिलाओ। उसकी बहन ने कहा कि उसका भाई गरीब व असहाय है, वह मोटरसाइकिल नहीं दे सकता। उपरोक्त सभी लोग घटना के 15 दिन पूर्व से उसकी बहन को प्रताड़ित करते रहे तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर दिनांक 04.11.2025 को उसकी बहन रन्नो को फांसी लगाकर मार डाला। उसकी बहन की 14 माह की लड़की को उपरोक्त राकेश, चुन्नू, राजवन्ती, लखना व बिल्लू ने छीन लिया। वह गरीब आदमी है, उसकी बहन की हत्या उपरोक्त दहेज लोभियों ने कर दिया है। उसकी रिपोर्ट लिखकर मुल्जिामानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।

3. आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में आधार लिये गये है कि, वह निर्दोष है और परिवादी मुकदमा द्वारा मुकामी पुलिस से साज करके

Digitally signed by ARPANA SHARMA
Date: 2026.06.03 13:12:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसको उपरोक्त वाद में झूंठा फंसाया गया है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित किसी किस्म की कोई घटना कारित नहीं की है। कथित घटना दिनांक 04.11.2025 को समय अज्ञात की कही जाती है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 20 दिवस पश्चात् थाना हाजा में अंकित करायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी मुकदमा द्वारा पहले अभियुक्तगण से नाजायज रूपयों की वसूली के लिए सौदेबाजी की जाती रही है और जब अभियुक्तगण द्वारा नाजायज रूपया देने से मना कर दिया गया, तब कानूनी राय लेकर कथित फर्जी मुकदमा थाना हाजा में अभियुक्त के विरूद्ध अंकित कराया गया है। उपरोक्त प्रकरण के विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना में दोनों पक्षों को अत्यन्त गरीब व्यक्ति होना पाया गया है और संकलित साक्ष्य से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग के लिए प्रताड़ित करना व मृतका श्रीमती रन्नो की दहेज की मांग पूरी न करने पर हत्या किया जाना नहीं पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अतिरिक्त दहेज मोटरसाइकिल की मांग की बात सरासर झूंठी व बेबुनियाद है जिसे महज मुकदमा साजी के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। लिहाजा प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयमेव में संदिग्ध है और विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अभियुक्त की मां श्रीमती राजवन्ती, पिता चुन्नू व छोटा भाई विकास, बाबा रामचन्द्र, दादी बुद्धी अलग निवासरत हैं और मझला भाई मुकेश व उसकी पत्नी राधा अलग निवास करते हैं तथा अभियुक्त व उसकी मृतका पत्नी रन्नो नाबालिग पुत्री कु0 खुशी के साथ अलग निवासरत है। तदनुसार सभी के परिवार रजिस्टर पृथक–पृथक मकानों के बने हुए हैं तथा विवेचक द्वारा ग्राम प्रधान तथा स्थानीय ग्रामवासियों के बयान विवेचना में संकलित किये गये हैं, जिनसे भी सभी पक्ष अलग–अलग निवासरत होना पाया गया है, लेकिन परिवादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के साथ उसकी मां, पिता, भाई मुकेश व लखना को नामित अभियुक्तगण बनाया गया है। विवेचक द्वारा चुन्नू, लखना व मुकेश की नामजदगी गलत पाते हुए उनके पक्ष में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है तथा अभियुक्त व उसकी मां राजवन्ती के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे भी घटना संदिग्ध है और विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अभियुक्त व मृतका श्रीमती रन्नो देवी के मध्य आपसी पारिवारिक बातों को लेकर झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उसका सम्बन्ध हरगिज किसी दहेज प्रताड़ना से सम्बन्धित नहीं था, जैसा कि विवेचना में साक्ष्य आया है और मृतका श्रीमती रन्नो के पंचायतनामा में नायब तहसीलदार, बबेरू मनोज सिंह द्वारा मृतका द्वारा स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया है। लिहाजा अभियुक्त द्वारा दहेज के कारण मृतका को जान से मार देना साबित नहीं है, जिससे भी घटना संदिग्ध है और विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। उसका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 22.01.2026 से मण्डल कारागार बांदा में निरूद्ध है और उसकी नाबालिग बच्ची खुशी जो कि वर्तमान समय अभियुक्त की मां राजवन्ती के पास है, जिसके भी पालन–पोषण की जिम्मेदारी अभियुक्त की है और वह घर का अकेले

कमाने वाला व्यक्ति है। उसका माननीय न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसकी जमानत का कोई प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया और न ही विचाराधीन है। प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त को ताफैसला मुकदमा जमानत/मुचलका पर रिहा करने का आदेश पारित करनें की कृपा करें।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त होने योग्य कहा है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा आदेशार्थ पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिकी एवं अन्य पुलिस प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पर सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की बहन व उसके परिवार वालों से अतिरिक्त दहेज की मांग करने तथा उक्त दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर वादी मुकदमा की बहन के साथ मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता कर फांसी पर लटकाकर उसकी दहेज हत्या कारित किये जाने का गंभीर आरोप है। वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगणों ने अपने–अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी.एन.एस.एस. में घटना का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा मृतका से एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा मांगने का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्ता के साथ मिलकर शादी के लगभग 4 वर्ष 06 माह के अन्दर मृतका की असामान्य परिस्थितियों में दहेज मृत्यु कारित की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 10 चोटें आना अंकित है तथा मृतका की मृत्यु का तात्कालिक कारण Asphyxia Antemortem hanging अंकित है। मामले में अभियुक्त की संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उसके विरूद्व आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण की सह अभियुक्ता राजवन्ती का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय से पूर्व में निरस्त हो चुका है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्य जो तर्क प्रस्तुत किये गये है, वह साक्ष्य एवं विचारण का विषय है। जिसका कोई लाभ अभियुक्त को इस स्तर पर नहीं दिया जा सकता है।

7. अतः अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु दर्शित आधार पर्याप्त एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. प्रार्थी/अभियुक्त राकेश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अल्पना)
सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे0ओ0 कोड नं0 यू0पी0 05748)

दिनांकः 03.06.2026